RISING RAJASTHAN

Azadi ka Amrit Mahotsav

राजस्थान सरकार

# न्यायालय जिला कलक्टर, बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : सुशील कुमार, आई0ए0एस0

विविध रसद प्रकरण सं. 19 / 2026 GCMS NO. 2026/196

**प्रार्थी–** ***बनाम*** **अप्रार्थी–**

राजस्थान सरकार जरिये प्रवर्तन निरीक्षक, बालोतरा।

श्री बाबु खा/हाजी तालब खां निवासी तीसरा फांटा रोड़, बालोतरा।

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955**

उपस्थिति :–

1. अभियोजन अधिकारी प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. श्री संजय नाहर, अधिवक्ता अप्रार्थी की ओर से उपस्थित ।

**आदेश**

दिनांक : **03.06..2026**

1. प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत अप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य यह है कि दिनांक **27.03.2026** को श्री हजारीलाल अलोरिया जिला रसद अधिकारी एवं जयंतीलाल नायब तहसीलदार बालोतरा, ने मौतबिरान के रूबरू अप्रार्थी के व्यवसायिक प्रतिष्ठान स्वयं की दुकान तीसरा फांटक रोड़, बालोतरा का निरीक्षण पर जांच करने पहुंचे, जहां मौके पर अप्रार्थी श्री बाबु खां उपस्थित मिले। मौके पर 14 किग्रा के 4 घरेलु गैस सिलेण्डर तथा 5 किग्रा के 2 गैस सिलेण्डर भाण्डारित होना पाये गये, जिसका ब्यौरा निम्न प्रकार दिया गया है–

| क्र. सं. | गैस सिलेण्डर न. | गैस कम्पनी का नाम | सिलेण्डर का कुल वजन | खाली सिलेण्डर का वजन | सिलेण्डर मे भरी हुई गैस का वजन |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 355587 टी | HP | 0 | 16.0 | 0 |
| 2. | 058229 ई | HP | 0 | 15.04 | 0 |
| 3. | 10150283 टी | HP | 0 | 15.7 | 0 |
| 4. | 058229 ई | HP | 0 | 16.7 | 0 |
| 5. | | ASI Perfect | 0 | 5 | 0 |
| 6. | | PCL | 0 | 5 | 0 |

2. मौके पर उक्त दुकान मे पाये गये घरेलु गैस सिलेण्डर के भण्डारित सिलेण्डरों के संबंध में आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध नहीं करने पर उक्त सिलेण्डर को जब्त सरकार किया गया। जब्तशुदा गैस सिलेण्डर को **मैसर्स मधुबन एच पी गैस, बालोतरा के मैनेजर श्री रेखाराम** को सुपुर्दनामा पर सुपुर्द किया गया। अप्रार्थी द्वारा अनाधिकृत रूप से घरेलु गैस सिलेण्डर का बिना आवश्यक दस्तावेज भण्डारित संग्रह कर द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3 के

न्यायालय जिला कलक्टर (रसद) बालोतरा सत्यमेव जयते

जिला कलक्टर बालोतरा

1(सी) व 7(सी) का उल्लंघन किया गया है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6ए के तहत उपरोक्त सीजशुदा घरेलु गैस सिलेण्डर मय गैस राजसात करने का आदेश फरमाया जावें।

3. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये पंजिबद्ध डाक द्वारा नोटिस जारी किया गया ।

4. अधिवक्ता अप्रार्थी ने दौराने बहस कथन किया कि अप्रार्थी के परिवार के लोग हज यात्रा पर जा रहे थे इसलिए परिवार वालो व रिश्तेदारों के लिये दावत का कार्यक्रम रखा गया था। उक्त दावत में मेहमानों लिये कंदौई द्वारा खाना बनाने लिए उक्त जब्तसुदा सिलेण्डर पड़ोसियों व परिवार के यहां से गैस टंकी इकटठी की गई थी। उक्त जब्त सुदा सिलेण्डर खाली थे। उक्त सिलेण्डर के संबंधित के नाम कनेक्शन ले रखा है। उक्त टंकिया जो मेरे घर में रखी थी वो अलग अलग उपभोक्ता की थी तथा उक्त घरेलू सिलेण्डर खाली थे जो घरेलु उपयोग हेतु भरवाने के लिए मेरे घर में रखे थे। प्रार्थी ने स्वयं ने कथन किया कि उक्त सिलेण्डर खाली थे तथा इसका व्यावसायिक हेतु उपयोग लिया जा रहा है ऐसा कहीं अंकित नहीं है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज करते हुए मेरी सिलेण्डेर वापस दिलाने का आदेश फरमावे।

5. हमने सरकारी पैरोकार एवं अप्रार्थी की बहस सुनी, बहस उपरांत पत्रावली का अवलोकन किया एवं मनन किया गया तथा उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। प्रार्थी की ओर से विभागीय पैरोकार ने प्रकट किया कि अप्रार्थी द्वारा किसी प्रकार के आवश्यक दस्तावेज व अनुज्ञापत्र प्रस्तुत नहीं करने तथा अवैध रूप से उपयोग करने पर उक्त सिलेण्डर मौतबिरान के रूबरू सीज किये गये है, जो वर्तमान मे गैस कम्पनी के स्थानीय वितरक **मैसर्स मधुबन एच पी गैस, बालोतरा के मैनेजर श्री रेखाराम** को सुपुर्दगी पर दिये गये है। अप्रार्थी द्वारा द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3 के (सी) व 7(1) का उल्लंघन किया गया है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अधिवक्ता अप्रार्थी ने कथन किया कि मेरे घर में रखे हुए उक्त सिलेण्डर अन्य उपभोक्ता(परिवार व पड़ौसी) के थे, जो घर में हज यात्रा का कार्यक्रम होने के कारण लाये गये थे। उक्त सिलेण्डर खाली थे तथा संबंधित के नाम कनेक्शन ले रखा है। उक्त सिलेण्डर जब्त करने से उक्त गैस कनेक्शन धारियों का भारी नुकसान हो रहा है। लिहाजा उसके विरूद्ध की गई उक्त कार्यवाही निरस्त फरमाई जाकर

जिला कलक्टर
बालोतरा

जब्तशुदा सिलेण्डर उसे दिये जाने का आदेश प्रदान करावे। प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत इस्तगासा एवं संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया गया, जिससे पाया जाता हैं कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अप्रार्थी द्वारा घरेलु गैस सिलेण्डर से संबंधित आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध नहीं करवाया गया है, होना बताया गया तथा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट में अप्रार्थी द्वारा न तो सिलेण्डर को किसी को बैचा जाना और न ही एक दुसरे सिलेण्डर में रिफलिंग करना या व्यावसायिक उपयोग लेना बताया गया। अप्रार्थी द्वारा उक्त जब्तसुदा सिलेण्डर के संबंध में आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत किय गये। प्रकरण मे द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 अथवा आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 का उल्लंघन होना नही पाया गया है। गैस सिलेण्डर मय गैस राजसात किये जाने का समुचित आधार मौजूद नहीं है।

6. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र खारिज किया जाकर जिला रसद अधिकारी बालोतरा को निर्देशित किया जाता है कि उक्त प्रकरण में जब्तशुदा घरेलु गैस सिलेण्डर मय द्रविकृत गैस को पुनः अप्रार्थी को सुपुर्द करें। इस आदेश की प्रति जिला रसद अधिकारी, बालोतरा को सूचनार्थ एवं पालना हेतु प्रेषित हो।

7. आदेश आज दिनांक **03.06.2026** को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट सत्यमेव जयते बालोतरा

(सुशील कुमार)
जिला कलक्टर, बालोतरा

जिला कलक्टर बालोतरा